

# न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।


भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या...462.../2023

आवेदिका 1. मीना देवी पति राजेन्द्र लाल, साकिन-विद्यापुरी, वार्ड नं०-17, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा 2. रेखा देवी पति रंजीत लाल साकिन-मेधातरी, पोस्ट-दिबौर, थाना-कोडरमा, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
भण्डरवा	254	9	401	3.43 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक ...12.../...09.../2023 को प्रस्तुत करें।

  
अंचल अधिकारी,  
कोडरमा।

अभिलेख उपस्थापित।

आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-भण्डरवा, थाना नं०-254, खाता सं०-9, प्लॉट सं०-401, रकवा-3.43 डी० भूमि श्रीमती मीना देवी पति राजेन्द्र लाल एवं श्रीमती रेखा देवी पति रंजीत लाल के नाम से पंजी-11 के पृष्ठ सं०-86 भाग सं०-6 पर जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-646/2012-13 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-2990 दिनांक-13.05.2011 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2022-23 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-23 दिनांक-17.07.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding ( Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

  
अंचल अधिकारी,  
कोडरमा